10/24

पत्रावली पेश। वकील
पार्टी मौजूद। प्रकरण में
लगभग 6 वर्ष के पश्चात
भी अभियोगीगण पर समन
मय नोटिस तामील नहीं।
अतः पत्रावली को आदेश
9 नियम 5 के तहत खारिज
किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो, दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)